

⇒ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) के बारे में

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत लागू विभिन्न गतिविधियों की समग्र नीति बनाने, नियोजन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभारी अर्थात् संयुक्त सचिव / निदेशक के सीधे मार्गदर्शन और निगरानी में कार्य करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिह्नित अधिकारियों यथा उप-महानिदेशक (डीडीजी) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) को नीतिगत, राष्ट्रीय समन्वय, विधि तथा आईईसी आदि जैसे तम्बाकू रोकथाम वाले विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्शकों द्वारा सहयोग दिया जाता है।

⇒ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के उद्देश्य

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किया गया था:

- ⇒ तम्बाकू के उपयोग के नुकसानदायक प्रभावों तथा तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना;
- ⇒ तम्बाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना;

⇒ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत कार्यकलापों की बड़े पैमाने पर मौलिक तथा प्रारंभिक स्तर पर बचाव की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं -

- क) स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ, स्कूल अध्यापकों, प्रवर्तन अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण;
- ख) सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां;
- ग) स्कूली कार्यक्रम;
- घ) तम्बाकू नियंत्रण कानूनों की मॉनीटरिंग;
- ङ) ग्राम स्तरीय गतिविधियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय;
- च) जिला स्तर पर फार्माकोलॉजिकल उपचार सुविधाओं के प्रावधान सहित निवारण सुविधाओं की स्थापना करना एवं उन्हें सुदृढ़ बनाना।

⇒ पात्रता

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के संदर्भ में लागू नहीं है।

⇒ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का कवरेज

वर्तमान में, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का क्रियान्वयन 42 जिलों को शामिल करते हुए कुल 21 राज्यों (प्रति राज्य 2 जिले) में किया जा रहा है। प्रथम चरण में, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत राजस्थान, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य, दो जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल (डीटीसीसी) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल (एसटीसीसी) को सहयोग किया गया। दूसरे चरण में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखण्ड, बिहार, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, गोवा, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य तथा प्रत्येक राज्य में केवल दो जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल (डीटीसीसी) को सहायता दी जा रही है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में, पूरे देश को शामिल करने हेतु कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

जिलों (राज्य-वार) की सूची इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
1.	बिहार (पटना व मुंगेर)
2.	छत्तीसगढ़ (रायपुर)
3.	हिमाचल प्रदेश (शिमला)
4.	जम्मू व कश्मीर (लेह/लद्दाख)
5.	झारखण्ड (धनबाद एवं जमशेदपुर)
6.	मध्य प्रदेश (खंडवा एवं ग्वालियर)
7.	ओडिशा (कटक एवं खुर्दा)
8.	राजस्थान (जयपुर एवं झुंझनू)
9.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ एवं कानपुर)
10.	उत्तराखण्ड (देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल)
11.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद एवं गुंटूर)
12.	गुजरात (वडोदरा एवं साबरकांठा)
13.	गोवा (उत्तरी गोवा एवं दक्षिणी गोवा)
14.	हरियाणा (अम्बाला)
15.	कर्नाटक (बंगलुरु एवं गुलबर्गा)
16.	केरल (कोझिकोड - कालीकट)
17.	महाराष्ट्र (थाणे, औरंगाबाद एवं गढचिरोली)
18.	पंजाब (भटिंडा)
19.	तमिल नाडु (विलुपुरम एवं कांचीपुरम)

20.	पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद एवं कूचबिहार)
21.	दिल्ली (पूर्वी दिल्ली एवं नई दिल्ली)
22.	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वी सियांग एवं पश्चिमी कामेंग)
23.	असम (कामरूप एवं जोरहाट)
24.	मणिपुर (इम्फाल पूर्वी एवं चूडाचंदपुर)
25.	मेघालय (पूर्वी खासी हिल्स / शिलांग एवं पश्चिम गारो हिल्स/तुरा)
26.	मिजोरम (ऐजवाल एवं लुंगली)
27.	नागालैण्ड (कोहिमा एवं दीमापुर)
28.	सिक्किम (पूर्वी सिक्किम एवं दक्षिणी सिक्किम)
29.	त्रिपुरा (पश्चिम त्रिपुरा एवं धलाई त्रिपुरा)

⇒ कार्यक्रम के दिशा-निर्देश

1. राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के परिचालन दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। तम्बाकू नियंत्रण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरों पर कार्यरत विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इन दिशानिर्देशों को एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

इन परिचालन दिशा-निर्देशों (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

2. तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क सम्मेलन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी ), विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में पहली वैश्विक स्वास्थ्य संधि है। दिनांक 5 फरवरी, 2004 को तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क सम्मेलन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) का समर्थन करने के साथ ही भारत इस सम्मेलन का एक पक्षकार बन गया है और उसके द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के सभी प्रावधानों को लागू किया जाना है।

तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क सम्मेलन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी ), दस्तावेज (पीडीएफ) में डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

3. चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाइड (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।
5. शिक्षकों के लिए गाइड (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।
6. तम्बाकू निर्भरता उपचार दिशा-निर्देश (पीडीएफ में) डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।
7. 'MPOWER: तम्बाकू संक्रमण की रोकथाम के लिए एक नीतिगत पैकेज' (पीडीएफ में) डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

⇒ मॉनीटरिंग क्रियाविधि

1. राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) द्वारा एक संशोधित तिमाही प्रपत्र तैयार किया गया। इस प्रपत्र से रिपोर्टिंग मानदण्ड में उद्देश्यों एवं वास्तविकता के बीच अधिकतम संतुलन सुनिश्चित होता है।

इस प्रपत्र (वर्ड दस्तावेज में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

2. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल (एनटीसीसी) द्वारा राज्य एवं जिला स्तरों पर वास्तविकता में कार्यक्रम की निगरानी के साथ-साथ उसे लागू करने की सुविधा हेतु फील्ड दौरे करने की महत्ता को मान्यता दी जाती है। इसके लिए एक संशोधित एक-समान मॉनीटरिंग प्रपत्र भी विकसित किया गया था ताकि फील्ड से संकलित सूचना का राज्यों / जिलों में मानकीकरण किया जा सके और तम्बाकू नियंत्रण में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

राज्य दौरे के लिए मॉनीटरिंग प्रपत्र को डाउनलोड (वर्ड दस्तावेज में) करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

जिला दौरे के लिए मॉनीटरिंग प्रपत्र (वर्ड दस्तावेज में) डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।




⇒ कार्यक्रम की उपलब्धियां (2012-13)

1. 'सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2012' को दिनांक 27 सितम्बर, 2012 के जीएसआर 724 (अ.) द्वारा अधिसूचित किया गया जो 1 अप्रैल, 2013 से लागू हुआ। धूम्रपान तथा धुआंरहित / चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों, प्रत्येक के लिए ग्राफिक चेतावनी के तीन सेट अधिसूचित किए गए।
2. 'सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध, तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) संशोधन नियमावली, 2012' को दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के जीएसआर 708 (अ.) द्वारा अधिसूचित किया गया और इसे 2 अक्टूबर, 2012 को लागू किया गया। इन नियमों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के चित्रण अथवा फिल्मों और टेलिविजन कार्यक्रमों में इनके इस्तेमाल को विनियमित किया जाता है।
3. तम्बाकू के उपयोग (धूम्रपान एवं धुआंरहित) के नुकसानदायक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के अनेक माध्यमों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान एक दो माह की पैन इंडिया आउटडोर मीडिया गतिविधि प्रारंभ की गई थी। धूम्रपान के नुकसानदायक प्रभावों के लिए एक चित्र और चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के बारे में एक चित्र का प्रयोग किया गया।
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन - भारत के सहयोग से दिनांक 20-21 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में तम्बाकू की आर्थिक नीति पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। परामर्श बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया: 1) तम्बाकू कर प्रणाली; 2) तम्बाकू उपयोग की स्वास्थ्य लागत; तथा 3) तम्बाकू उत्पादक किसानों और कारीगरों के लिए वैकल्पिक आजीविका।
5. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने हेतु परिचालन दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं और उनका प्रसार, कार्यक्रम के तहत आने वाले सभी राज्यों व जिलों में किया गया है।
6. जिला एवं राज्य स्तर पर एनटीसीपी की गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक नया रिपोर्टिंग प्रपत्र तैयार किया गया है। प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्टों में मापने योग्य प्रणालियों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है और इस तरह से रिपोर्टिंग पहले से कहीं अधिक उद्देश्यपरक बन गई है।
7. एनटीसीसी द्वारा सीओटीपीए (सीओटीपीए) के संशोधन हेतु कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया गया। यह सीओटीपीए (सीओटीपीए) की धारा 7(5) के संशोधनों से संबंधित है जिसमें अधिकतम अनुमेय सीमा का प्रावधान हटा दिया गया है।
8. एनटीसीसी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए पहले राष्ट्रीय स्तरीय मास मीडिया अभियान का अनुमोदन प्राप्त किया। अभियान 'टियर्स यू अपार्ट' के तहत तम्बाकू चबाने की आदत के कारण कैंसर और शारीरिक विकृति वाले रोगियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

9. तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'कानून प्रवर्तकों के लिए दिशानिर्देश, 2013' तैयार किए गए और उन्हें स्वास्थ्य सचिव द्वारा 28 मई, 2013 को जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों में अद्यतन नियमों के संकलन के साथ-साथ कानून के विभिन्न प्रावधानों के लिए प्रवर्तन कार्यविधि भी शामिल है।
10. क्षेत्रीय स्तर (भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र) पर एफसीटीसी के क्रियान्वयन का स्टॉक लेने के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 23-26 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया।
11. एनटीसीसी द्वारा देश में एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 की धारा 2.3.4 के प्रभावी क्रियान्वयन पर आगामी राष्ट्रीय परामर्श समूह के लिए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक-दिवसीय कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों में एफडीए एंड पुलिस विभागों तथा एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।



⇒ संगठन (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल - एनटीसीसी)



नोट: 'टीसी' का आशय तम्बाकू नियंत्रण से है।

⇒ अधिनियम / नियमावली / आदेश / परिपत्र / पत्र

1. तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'कानूनी प्रवर्तकों के लिए दिशानिर्देश, 2013' को दिनांक 28 मई, 2013 को स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों में शामिल है: 'दि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 (कोटपा)', अद्यतन नियम इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं से और कोटपा के विभिन्न प्रावधानों के लिए प्रवर्तन कार्यविधि से संबंधित हैं।

इन दिशानिर्देशों (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#)

2. कोटपा की धारा-5 द्वारा तम्बाकू उत्पादों के सभी तरह के विज्ञापनों (प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष / सरोगेट), संवर्धन और प्रायोजकता को रोकती है। सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (संशोधित), नियमावली, 2005 को दिनांक 31 मई, 2005 को अधिसूचित किया गया जिसमें तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों अथवा गोदामों के प्रवेश द्वार पर अथवा भीतर विज्ञापन के लिए विनिर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इन नियमावली के नियम 4 के क्रियान्वयन को वर्ष 2006 में मुम्बई उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हैल्थ फॉर मिलियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में 3 जनवरी, 2013 के अपने आदेश में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया और इस प्रकार पीओएस नियमावली के क्रियान्वयन में किसी भी बाधा को हटा दिया।

इस आदेश (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2011 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध एवं सीमाएं) विनियमन, 2011 के तहत तम्बाकू अथवा निकोटिन की मात्रा वाले गुटखा जैसे खाद्य उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, भण्डारण और वितरण को प्रतिबंधित किया गया। पुनः मैसर्स खेदल लाल एंड संस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि तम्बाकू चबाना यथा जर्दा एक खाद्य वस्तु है। मिजोरम सरकार ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2012 के आदेश द्वारा तम्बाकू अथवा निकोटिन की मात्रा वाले गुटखा, पान मसाला, जर्दा अथवा अन्य चबाने वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया।

सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सचिव (स्वास्थ्य) की ओर से भेजे गए पत्र (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां *क्लिक करें* । इस पत्र में तम्बाकू अथवा निकोटिन की मात्रा वाले सभी प्रकार के चबाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हैल्थ फॉर मिलियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में अपने 3 जनवरी, 2013 के आदेश में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया और इस प्रकार पीओएस नियमावली के क्रियान्वयन में किसी भी बाधा को हटा दिया।

सचिव (स्वास्थ्य) की ओर से सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और महानिदेशक, पुलिस को भेजे गए पत्र (पीडीएफ में) को डाउनलोड करने के लिए यहां *क्लिक करें*। इस पत्र में पीओएस के नियमों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था।

⇒ फार्म / प्रारूप

1. 'संशोधित' तिमाही रिपोर्टिंग प्रारूप का उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तरों पर एनटीसीपी के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को सुधारना है। नए प्रारूप में समग्र रिपोर्टिंग क्रियाविधि में उद्देश्यपरकता के तत्वों को शामिल किया गया है।

प्रारूप में तीन भागों वाले दो खण्ड हैं जैसे कि भाग-क (हां अथवा नहीं में उत्तर), भाग-ख (केवल प्रासंगिक संख्या ही बताई जानी है) और भाग-ग (व्यय का विवरण)। दूसरे खण्ड ('डीटीसीसी से एसटीसीसी' के रूप में अंकित) की रिपोर्टिंग प्रत्येक जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल (डीटीसीसी) द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल (एसटीसीसी) को की जाएगी और सूचना का समायोजन करके तथा राज्य स्तरीय आंकड़ों को उसमें शामिल करके एसटीसीसी द्वारा यह जानकारी प्रथम खण्ड ('एसटीसीसी से एनटीसीसी' अंकित) के माध्यम से एनटीसीसी को भेजी जाएगी। एनटीसीसी के पास तिमाही रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने पर 15 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए।

इस प्रारूप (वर्ड दस्तावेज में) को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

⇒ प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सीओटीपीए क्या है ?

सीओटीपीए का आशय 'सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापनों का निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 है। यह अधिनियम किसी भी रूप में तम्बाकू रखने वाले सभी उत्पादों पर लागू है, जिसका विवरण अधिनियम की अनुसूची में दिया गया है। यह अधिनियम, जम्मू व कश्मीर राज्य सहित पूरे भारतवर्ष में लागू है।

सीओटीपीए को डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

2. जीएटीएस क्या है ?

जीएटीएस का आशय 'वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण' से है। जीएटीएस इंडिया का आयोजन वर्ष 2009-2010 में किया गया था, जिसके तहत 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों का घरेलू सर्वेक्षण किया गया। निवासियों (शहरी एवं ग्रामीण) तथा लैंगिक आधार पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, मध्य और उत्तर-पूर्व) का आकलन करने और लैंगिक आधार पर राज्य आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बारम्बारता नमूने का उपयोग किया गया। मानकीकृत प्रश्नावली, समुचित नमूना डिजाइन, और प्रभावी डाटा संकलन व प्रबंधन कार्यविधियों का उपयोग करके तम्बाकू उपयोग और अन्य तम्बाकू नियंत्रण संकेतकों पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की गई।

जीएटीएस फैक्ट शीट इंडिया: 2009-2010 (पीडीएफ में) में डाउनलोड करने के लिए यहां [क्लिक करें](#) ।

3. क्या सीओटीपीए देश में तम्बाकू उत्पादों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है?

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञान का निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003' द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों, संवर्धन और प्रायोजकता पर प्रतिबंध लगाकर; सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध करके; अवयस्कों को तथा उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर; शैक्षणिक संस्थायों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर; और सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट चित्र वाली स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने को जरूरी बनाकर तम्बाकू उत्पादों की खपत, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। हालांकि, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2011 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा व मानक (निषेध एवं बिक्री पर प्रतिबंध) के तहत गुटखा जैसे तम्बाकू अथवा निकोटिन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, भण्डारण और वितरण को निषिद्ध किया गया है।



4. क्या तम्बाकू खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अकाल मृत्यु होती है ?

भारत में तम्बाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट-2004 के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष तम्बाकू का सेवन करने से 8-9 लाख मौतें होती हैं। पुनः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वर्ष 2004 तक प्रकाशित साहित्य के विश्लेषण के आधार पर 'गैर संचरणीय रोगों के कारण बोझ का आकलन' शीर्षक के तहत किए गए अध्ययन के अनुसार, तम्बाकू का सेवन करने के कारण हृदयाघात (78 प्रतिशत), तपेदिक (65.6 प्रतिशत), इस्केमिक हृदय रोग (85.2 प्रतिशत), गंभीर मायोकार्डियल इनफ्रेक्शन (52 प्रतिशत) इसोफेजियल कैंसर (43 प्रतिशत) और मुंह का कैंसर (38 प्रतिशत) तथा फेफड़ों का कैंसर (16 प्रतिशत) का रोग जोखिम है। तम्बाकू का धूम्रपान और साथ ही इसे चबाकर सेवन करने से प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं और अकाल अथवा समय से पहले मृत्यु हो जाती है।

5. देश में तम्बाकू उत्पादों की खपत तथा धूम्रपान को रोकने के लिए भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम क्या है ?

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को प्रारंभ किया गया जिसके उद्देश्य थे: 1) तम्बाकू सेवन के नुकसानदायक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; 2) तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में कमी करना; 3) 'दि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का निषेध, व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण) अधिनियम, 2003' (सीओटीपीए) के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना; और 4) तम्बाकू सेसेशन केन्द्रों के माध्यम से लोगों को तम्बाकू छोड़ने में मदद करना। वर्तमान में, इस कार्यक्रम को 42 जिलों को शामिल करते हुए 21 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, इस कार्यक्रम को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा।

जिलों (राज्य-वार) की सूची इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
1.	बिहार (पटना व मुंगेर)
2.	छत्तीसगढ़ (रायपुर)
3.	हिमाचल प्रदेश (शिमला)
4.	जम्मू व कश्मीर (लेह/लद्दाख)
5.	झारखण्ड (धनबाद एवं जमशेदपुर)
6.	मध्य प्रदेश (खंडवा एवं ग्वालियर)
7.	ओडिशा (कटक एवं खुर्दा)
8.	राजस्थान (जयपुर एवं झुंझनू)
9.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ एवं कानपुर)
10.	उत्तराखण्ड (देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल)

11.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद एवं गुंटूर)
12.	गुजरात (वडोदरा एवं साबरकांठा)
13.	गोवा (उत्तरी गोवा एवं दक्षिणी गोवा)
14.	हरियाणा (अम्बाला)
15.	कर्नाटक (बंगलुरु एवं गुलबर्गा)
16.	केरल (कोझिकोड - कालीकट)
17.	महाराष्ट्र (थाणे, औरंगाबाद एवं गढचिरोली)
18.	पंजाब (भटिंडा)
19.	तमिल नाडु (विलुपुरम एवं कांचीपुरम)
20.	पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद एवं कूचबिहार)
21.	दिल्ली (पूर्वी दिल्ली एवं नई दिल्ली)
22.	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वी सियांग एवं पश्चिमी कामेंग)
23.	असम (कामरूप एवं जोरहाट)
24.	मणिपुर (इम्फाल पूर्वी एवं चूडाचंदपुर)
25.	मेघालय (पूर्वी खासी हिल्स/ शिलांग एवं पश्चिम गारो हिल्स/तुरा)
26.	मिजोरम (ऐजवाल एवं लुंगली)
27.	नागालैण्ड (कोहिमा एवं दीमापुर)
28.	सिक्किम (पूर्वी सिक्किम एवं दक्षिणी सिक्किम)
29.	त्रिपुरा (पश्चिम त्रिपुरा एवं धलाई त्रिपुरा)

6. सेकण्ड हैंड स्मोक (एसएचएस) क्या है ?

सेकण्ड हैंड स्मोक (एसएचएस) धूम्रपान का ऐसा तरीका है जिसमें धूम्रपान करने वाला व्यक्ति (मेनस्ट्रीम धूम्रपान) अथवा धूम्रपान को सिगरेट / बीड़ी / सिगार आदि (साइड स्ट्रीम धूम्रपान) के जलने वाले सिरे की ओर से किया जाता है।

7. क्या एसएचएस स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ?

एसएचएस के परिणामस्वरूप वयस्कों में फेंफड़ों का कैंसर और हृदय रोग, बच्चों में एसआईडीएस (अचानक नवजात मृत्यु सिन्ड्रोम), चिरकालिक श्वसन संक्रमण, गंभीर अस्थमा, फेंफड़ों का पूरी तरह कार्य न करना, कान के अंदर के रोग और गंभीर सांस संबंधी रोग पाए गए। घर पर धूम्रपान करने से छोटे बच्चों के साथ-साथ बुजुर्ग व अन्य वयस्क विशेषकर महिलाएं प्रभावित होती हैं।

8. थर्ड हैंड तम्बाकू धूम्रपान क्या है ?

थर्ड हैंड धूम्रपान (स्मोक) ऐसा तम्बाकू धूम्रपान संदूषण है जो कि बीड़ी / सिगरेट को बुझाने के बाद भी बना रहता है। तम्बाकू के धुएं के अपशिष्ट बीड़ी / सिगरेट फेंकने वाली सतह पर लंबे समय तक बने रहते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए एक संभावित खतरा है। इससे कम आयु के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है।

9. एसएलटी का क्या अर्थ है ?

एसएलटी का आशय 'धुआंरहित तम्बाकू उत्पाद' है। इसमें ऐसे सभी तम्बाकू उत्पाद शामिल हैं जिनका सेवन बिना जलाए रूप में किया जाता है। धुआंरहित तम्बाकू का सेवन मुंह अथवा सूंघकर किया जा सकता है। भारत में धुआंरहित तम्बाकू का सेवन चबाकर, चूने के साथ अथवा चूने के बिना किया जाता है। गुटखा, खैनी तथा जर्दा ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। सूंघकर उपयोग करने का एक उदाहरण नसवार है। तम्बाकू का धूम्रपान और साथ धूम्रपान के बिना सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे अकाल मृत्यु को बढ़ावा मिलता है।

10. क्या तम्बाकू के सेवन को छोड़ना संभव है?

हां, तम्बाकू सेवन को छोड़ना पूरी तरह से संभव है। समुचित परामर्श और सामाजिक सहयोग और मजबूत इच्छाशक्ति की इसमें प्रमुख भूमिका है। समय पर, गंभीर रूप से आदी लोगों को डि-एडिक्शन प्रक्रिया में निकोटिन च्यूईंगम अथवा निकोटिन पैचस (निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी - एनआरटी) के अस्थाई उपयोग की जरूरत हो सकती है।

अनुसंधान से स्पष्ट रूप से पता चला है कि तम्बाकू सेवन को छोड़ने में सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है।

11. क्या पर्यावरण प्रदूषण और संदूषण में तम्बाकू का भी योगदान है ?

जी हां, पर्यावरणीय प्रदूषण में तम्बाकू भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है। यह वनों की कटाई, मृदा के पोषक-तत्वों में कमी और जल स्रोतों के संदूषण का मुख्य कारण है।

⇒ सम्पर्क व्यक्ति (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल)

श्री आर.एस. नेगी

अवर सचिव (तम्बाकू नियंत्रण)

कमरा नं. 425, 'सी' विंग,

निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108

टेलीफैक्स: 23012735